न्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 3358 /विधि सहरसा, दिनांक 22-11-2023

प्रतिलिपिः- जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आँगनबाड़ी अपील वाद सं0-57/2020 में दिनांक-13.11.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय वाद सं0-14/2017 से संबंधित अभिलेख कुल-198 पृ0 मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :- यथोपरि।

प्रतिलिपिः- वन्दना कुमारी, पति-निर्मल कुमार / कंचन कुमारी, पति-अजय कुमार, सा0-जिरवा मधेली, वार्ड नं0-06, थाना-शंकरपुर, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- आई0टी0 असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड कर वापस करने हेतु प्रेषित।

22/11/23

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

आँगनबाड़ी सेविका हेतु विज्ञापन निकाला गया। उक्त विज्ञापन के आलोक में आवेदिका द्वारा सभी वांछित योग्यता प्रमाण-पत्र के साथ-साथ विपक्षी एवं अन्य द्वारा भी आवेदन दाखिल किया गया, जिसमें आमसभा द्वारा सभी दावा/प्रतिवेदन आदि का निष्पादन किया गया तथा विपक्षी द्वारा जिला जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा के यहाँ भी वाद दायर किया गया और खारिज हुआ। अपीलार्थी द्वारा मूल रूप से विपक्षी के जन्म तिथि पर प्रश्न उठाया गया है एवं शैक्षणिक योग्यता जो बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना से मध्यमा किया गया है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। लेकिन समाहर्त्ता न्यायालय, मधेपुरा द्वारा नियम से परे जाते हुए विपक्षी का अंक ज्यादा मानते हुए अपीलार्थी को चयनमुक्त करने का आदेश पारित कर दिया गया जो विधि विरूद्ध है एवं आयुक्त

अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपील वाद संख्या–57/2020

कंचन कुमारी.....आवेदिका

बनाम

राज्य एवं अन्य.....रेस्पोण्डेन्ट

–: आदेश :–

यह आँगनबाड़ी पुनरीक्षण अपीलवाद श्रीमती कंचन कुमारी, पति–अजय द्वारा वन्दना कुमारी, पति–श्री निर्मल कुमार सा0+पंचायत–जिरवा मधेली वार्ड नं0–06 थाना–शंकरपुर, जिला–मधेपुरा के विरूद्ध न्यायालय समाहर्त्ता–सह–जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के यहाँ वाद सं0–14/2017 में दिनांक 30.06.2020 में पारित आदेश जिसमें कंचन **कुमारी के चयन को रद्द करते हुए विपक्षी** वन्दना कुमारी का चयन करने का आदेश पारित किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का मूल रूप से कहना है कि ग्राम पंचायत जिरवा मधेली वार्ड नं0–06 में आँगनबाड़ी केन्द्र सं0–86 में आँगनबाड़ी सेविका हेतु विज्ञापन निकाला गया। उक्त विज्ञापन के आलोक में आवेदिका द्वारा सभी वांछित योग्यता प्रमाण–पत्र के साथ–साथ विपक्षी एवं अन्य द्वारा भी आवेदन दाखिल किया गया, जिसमें आमसभा द्वारा सभी दावा/प्रतिवेदन आदि का निष्पादन किया गया तथा विपक्षी द्वारा जिला जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा के यहाँ भी वाद दायर किया गया और खारिज हुआ। अपीलार्थी द्वारा मूल रूप से विपक्षी के जन्म तिथि पर प्रश्न उठाया गया है एवं शैक्षणिक योग्यता जो बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना से मध्यमा किया गया है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। लेकिन समाहर्त्ता न्यायालय, मधेपुरा द्वारा नियम से परे जाते हुए विपक्षी का अंक ज्यादा मानते हुए अपीलार्थी को चयनमुक्त करने का आदेश पारित कर दिया गया जो विधि विरूद्ध है एवं आयुक्त

न्यायालय कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा खंडित करने योग्य है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के द्वारा लाये गये सारे आपत्तियों का जबाव बहस के दौरान दिया गया। अपीलार्थी एवं विपक्षी दोनों के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र का सत्यापन बिहार विद्यालय परीक्षा समिमि, पटना एवं बिहार संस्कृत बोर्ड, पटना से कराया गया और दोनों प्रमाण–पत्र सत्यापन के दौरान सही पाया गया, जिससे अपीलार्थी का यह आरोप कि प्रमाण–पत्र संदिग्ध है कहना गलत साबित हो जाता है।

अपीलार्थी का यह भी आरोप है कि आवेदिका का जन्म तिथि दोषपूर्ण है। निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय (समाज कल्याण विभाग), बिहार, पटना के पत्रांक–ICDS/30020/16-2012-1669, दिनांक 09.03.2012 के द्वारा सेविका/सहायिका के जन्म तिथि / उम्र निर्धारण के संबंध में विशिष्ट दिशा–निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिसकी कंडिका–01(ख)(ii) में उल्लेखित है कि "मैट्रिक या उच्चतर योग्यताधारी सेविका/सहायिका की जन्म तिथि उनके "मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र में अंकित जन्म तिथि उनके शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र स्कूल परित्याग प्रमाण–पत्र को माना जायेगा"। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना से मध्यमा परीक्षा प्रमाण–पत्र सं0–0100797 का सत्यापन कराए जाने के उपरान्त सही प्रतिवेदित किया गया है, जिसमें बन्दना कुमारी का जन्म तिथि 01.08.1991 अंकित है। समाज कल्याण विभागीय पत्रांक 1669, दिनांक 09.03.2012 की कंडिका 01(ख)(i) के अनुसार दोषपूर्ण नहीं माना जायेगा।

आवेदिका द्वारा आपत्ति उठायी गयी है कि समिति द्वारा अंको की गणना सही नहीं किया है तथा मेधा क्रम गलत है। दिनांक 15.02.2014 को तैयार किए मेधा सूची का अवलोकन करने पर पाया गया कि क्रमांक–05 प्राप्तांक / पूर्णांक 419/700 और प्राप्तांक का प्रतिशत 59.85 दर्ज है। उसी प्रकार क्रमांक–05 पर अपीलार्थी बन्दना कुमारी पति श्री निर्मल कुमार का नाम दर्ज है तथा मैट्रिक प्राप्तांक / पूर्णांक 367/700 और प्राप्तांक का प्रतिशत–52.42 दर्ज है। सेविका /सहायिका मार्गदर्शिका–2011 की कंडिका–05 में सेविका के लिए मूधा सूची निर्धारण के लिए विशिष्ट उल्लेख किया गया है, जिसकी कंडिका–5.1 में अंकित किया गया है कि मेधा सूची के निर्धारण में मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्तांक के प्रतिशत को आधार रखा जायेगा। परन्तु ऐसी गणना

के समय अतिरिक्त विषयों में प्राप्त अंकों को शामिल नहीं किया जायेगा। विपक्षी मध्यमा से मैट्रिक की है तथा आवेदिका बिहार बोर्ड से परीक्षा पास की है। विपक्षी के मध्यमा अंक पत्र में अंकित कुल पूर्णांक-700 के एवज में प्राप्तांक 367 है, जिसका प्राप्तांक प्रतिशत-52.47 होता है। उसी प्रकार कंचन कुमारी के मैट्रिक अंक पत्र में कुल पूर्णांक-800 के एवज में प्राप्तांक-419 है, जिसका प्राप्तांक प्रतिशत-52.37 होता है। अतिरिक्त विषय का अंक उक्त गणना मे शामिल नहीं किया गया है। इन दोनों अंक पत्र में अंकित प्राप्तांक/पूर्णांक का मिलान, तैयार मेधा सूची में प्राप्तांक/पूर्णांक से करने पर पाया गया कि आवेदिका कंचन कुमारी के नाम के सामने अंकित प्राप्तांक सही है एवं पूर्णांक-800 के बदले 700 दर्शाया गया है। मेधा सूची में पूर्णांक गलत अंकित रहने के कारण प्राप्तांक प्रतिशत-59.85 दर्ज है। वस्तुतः इसका प्राप्तांक प्रतिशत-52.37 होगा। दोनों अथ्यर्थियों को इन्टर का अतिरिक्त अंक-07 जोड़ने के उपरान्त विपक्षी का कुल मेधा अंक प्रतिशत-52.47+07=59.47 तथा अपीलार्थी का कुल मेधा अंक प्रतिशत 52.37+07=59.37 होता है। उक्त मेधा अंक प्रतिशत के आधार पर मेधा सूची के क्रमांक-04 विपक्षी बंदना कुमारी का नाम तथा क्रमांक-05 पर अपीलार्थी था कंचन कुमारी का नाम रहना चाहिए था, जो उपरोक्त विवेचना अनुसार दर्ज नहीं पाया गया है। इस तरह मेधा सूची में अनियमितता बरत कर आवेदिका कंचन कुमारी का चयन सेविका पद पर कर लिया गया था, जो प्राघधान के विपरीत है।

विपक्षी का यह भी आरोप है कि आवेदिका पर अपराधिक मामले के अन्तर्गत प्राथमिकी सं0-04/2014 दर्ज है, जिस कारण यह सेविका के लिए अयोग्य है। अपराधिक मामला में विपक्षी के विरुद्ध सक्षम न्यायालय द्वारा दंड अध्यारोपित किया है अथवा नहीं, के संबंध में कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। सेविका / सहायिका मार्गदर्शिका-2011 की कंडिका-4.12 (ii) में प्रावधानित है कि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिये दण्डित अथवा दंड प्रक्रिया संहिता के अतर्न्गत सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिये दंडित अथवा दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय द्वारा बंधपत्र दाखिल करने का आदेश प्राप्त उम्मीदवार अयोग्य होंगे। साक्ष्याभाव में उक्त प्रावधान विपक्षी पर प्रभावी नहीं होता है। इसलिए विपक्षी का यह आरोप स्वीकार योग्य नहीं है।

उभय पक्ष को सुनने के उपरान्त उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख के रूप में प्राप्त साक्ष्य/कागजातों के परिशीलनोपरान्त यह स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा दोनों का शैक्षणिक योग्यता सत्यापन के उपरान्त अंक प्रतिशत की गणना करते हुए उच्च अंकधारी वन्दना कुमारी के चयन का आदेश दिया है, जो बिल्कुल सही है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को सम्पुष्ट करते हुए अपील वाद को खारिज किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख वापस किया जाय तथा इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

13/11/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

13/11/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।